सं. 96/अपील/2019 बउनवान हीरा बनाम नरटीबाई

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/2/24	वकुलाय उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 26/3/24 को पेश हो।	
26/03/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महो० चुनाव कार्य में व्यस्त है। मिसल साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13.05.24 को पेश हो। रीडर	
13/5/24	वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली पर पूर्व में ही अनेकानेक अवसर दिये जा चुके हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/5/24 को पेश हो।	
14/5/24	वकुलाय उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 21/5/24 को पेश हो।	
21/5/24	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। दौराने बहस वकील अपीलांट का कथन रहा कि ग्राम किशनपुरा की कृषि भूमि खसरा सं. 325 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा पर खातेदार रामनाथ के हिस्से पर धापू पुत्री रामनाथ दर्ज कर नामा० सं० 559 दिनांक 30/03/15 खोला गया, जो सहखातेदारों की सुनवाई किये बिना तस्दीक किये जाने से अवैध है जिसे निरस्त किया जावे। जबकि वकील	

किस्म मुकदमा.................................नं. ....सन्.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में
	रेस्पो० द्वारा आपत्ति की गई कि नामा. संख्या ५५९ के विरुद्ध अपीलांटस द्वारा इसी न्याया० में अपील सं० 107/2014 पूर्व में पेश की जा चुकी है, जो बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28/02/17 से खारिज की जा चुकी है यहां अपीलांटस द्वारा तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह कर उक्त नामान्तरण को खारिज करवाने के लिए कानून का दुरुपयोग कर विधिविरुद्ध लाभ प्राप्त करने की नीयत से यह अपील पेश की गई है, जो खारिज की जावें। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया, जिससे ज्ञात हुआ कि नामा० सं० ५५९ दिनांक 30/3/14 के विरुद्ध अपीलांटस द्वारा पूर्व में दायर अपील सं० 107/2014 बउनवान हीरालाल बनाम जमनाबाई वगै० बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28/2/17 से खारिज की जा चुकी है जिसकी अपीलांटस को जानकारी होते हुये भी उक्त नामा० के विरुद्ध पुनः अपील दायर की गई, जो विधि विरुद्ध होने से इस न्यायालय में चलने योग्य नही है। अतः अपील यहां पोषनीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।	

जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)